

आउटकम 2021-22
लोक निर्माण विभाग

विभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित एस0डी0जी0
धनराशि रू0 लाख में

क्र० सं०	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आउट ले/बजट (2021-22)		दिनांक 01.04.2020 की स्थिति (वर्ष 2019-20)	दिनांक 31.03.2021 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट वर्ष 2021-22	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटकम 2021-22	समय सीमा
			राजस्व	पूँजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	नाबार्ड	मार्गों का नव निर्माण, पुनर्निर्माण एवं सेतुओं का निर्माण कर सुलभ एवं सुरक्षित यातायात उपलब्ध कराना।	-	33000.00	नव निर्माण — 170 किमी.	नव निर्माण — 222 किमी.	नव निर्माण — 236 किमी.	881 किमी. मार्गों का नव निर्माण कर 120 ग्रामों का संयोजन, 772 किमी. मार्गों का पुनः निर्माण कर सर्वत्र तु योग्य मार्ग उपलब्ध कराना, 42 सेतुओं का नव निर्माण कर मोटर एवं पैदल यातायात सुलभ कराना।	03 / 2022
					पुनः निर्माण — 182 किमी.	पुनः निर्माण — 199 किमी.	पुनः निर्माण — 204 किमी.		
					सेतु — 22 नं०	सेतु — 18 नं०	सेतु — 19 नं०		
2	राज्य सेक्टर		-	91402.38	नव निर्माण — 396 किमी.	नव निर्माण — 479 किमी.	नव निर्माण — 539 किमी.		
					पुनः निर्माण — 654 किमी.	पुनः निर्माण — 461 किमी.	पुनः निर्माण — 523 किमी.		
					सेतु — 17 नं०	सेतु — 16 नं०	सेतु — 18 नं०		
3	अनुसूचित जाति उपयोग		-	6340.00	नव निर्माण — 59 किमी.	नव निर्माण — 58 किमी.	नव निर्माण — 61 किमी.		
					पुनः निर्माण — 16 किमी.	पुनः निर्माण — 23 किमी.	पुनः निर्माण — 25 किमी.		
					—	सेतु — 2 नं०	सेतु — 2 नं०		
4	अनुसूचित जनजाति उपयोग		-	4780.00	नव निर्माण — 36 किमी.	नव निर्माण — 42 किमी.	नव निर्माण — 45 किमी.		
					पुनः निर्माण — 8 किमी.	पुनः निर्माण — 19 किमी.	पुनः निर्माण — 20 किमी.		
					—	—	सेतु — 1 नं०		
5	केंद्र पोषित योजना तथा विशेष आयोजनागत सहायता एवं विशेष सहायता योजना	पूर्व निर्मित मार्गों का सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण कर सुलभ यातायात उपलब्ध कराना।	-	15500.00	सेतु — 3 नं०	पुनः निर्माण — 1482 किमी० सेतु — 2 नं०	सेतु — 2 नं०	मार्गों को सुदृढ़ एवं सतह सुधार कर सुलभ तथा सुरक्षित यातायात उपलब्ध कराना।	03 / 2022
6	ए.डी.बी. वित्त पोषित कार्य (यू.एस. आर.आई.पी.)		-	300.00	—	—	—		
	योग, पूँजीगत मदें			151322.38	नव निर्माण — 661 किमी. पुनः निर्माण — 860 किमी. सेतु — 42 नं०	नव निर्माण — 801 किमी. पुनः निर्माण — 2184 किमी. सेतु — 38 नं०	नव निर्माण — 881 किमी. पुनः निर्माण — 772 किमी. सेतु — 42 नं०		

आउटकम 2021-22
लोक निर्माण विभाग

विभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित एस0डी0जी0
धनराशि रू0 लाख में

क्र0 सं0	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आउट ले/बजट (2021-22)		दिनांक 01.04.2020 की स्थिति (वर्ष 2019-20)	दिनांक 31.03.2021 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2021-22	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2021-22	समय सीमा
			राजस्व	पूँजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	प्रदेश के मार्गों/ सेतुओं का अनुरक्षण	मार्गों का नवीनीकरण तथा वार्षिक रखरखाव।	32527.23	-	नवीनीकरण – 922 किमी0	नवीनीकरण – 1377 किमी0	नवीनीकरण – 1200 किमी0	विभिन्न श्रेणी के मार्गों का बी.सी., एस.डी.बी.सी. एवं पी.सी. द्वारा नवीनीकरण कर सुलभ यातायात हेतु उपलब्ध कराना।	03 / 2022
8	राष्ट्रीय राजमार्गों का अनुरक्षण	राष्ट्रीय राजमार्गों का अनुरक्षण एवं अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त मार्गों का पुनर्निर्माण।	5000.00	-	2091 किमी.	91 किमी.	100 किमी.	पूर्ण लम्बाई में राष्ट्रीय राजमार्गों का सामान्य अनुरक्षण एवं क्षतिग्रस्त मार्गों की पुर्नस्थापना	03 / 2022
9	परियोजना संरचना एवं कन्सलटेन्सी भुगतान, लोकार्पण/ शिलान्यास, प्र.अभि. अधिकार क्षेत्र, न्यायालय की अज्ञापितियों का भुगतान, राज्य तथा जिला मार्गों का अनुरक्षण आऊटसोर्सिंग व्यवस्था द्वारा आदि विविध राजस्व मदें	महत्वपूर्ण मोटर मार्गों का अनुरक्षण प्रदान करते हुए स्तरीय सड़क यातायात सुविधा प्रदान करने के साथ-2 रोजगार सृजन के अवसर प्रदान करना।	3047.00	-	आउट सोर्सिंग के माध्यम से 4517 किमी0 राज्य राजमार्गों तथा 2091 किमी0 राष्ट्रीय राजमार्गों का अनुरक्षण एवं रख-रखाव	आउट सोर्सिंग के माध्यम से 5844 किमी0 राज्य राजमार्गों तथा 91 किमी0 राष्ट्रीय राजमार्गों का अनुरक्षण एवं रख-रखाव	आउट सोर्सिंग के माध्यम से 5844 किमी0 राज्य राजमार्गों तथा 100 किमी0 राष्ट्रीय राजमार्गों का अनुरक्षण एवं रख-रखाव	राज्य राजमार्गों के अनुरक्षण हेतु 290 आउटसोर्सिंग कार्मिकों (मेट एवं बेलदार) तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण हेतु 105 आउट सोर्सिंगत कार्मिकों का रोजगार सृजन	03 / 2022

आउटकम 2021-22
लोक निर्माण विभाग

विभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित एस0डी0जी0
धनराशि रु0 लाख में

क्र0 सं0	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आउट ले/बजट (2021-22)		दिनांक 01.04.2020 की स्थिति (वर्ष 2019-20)	दिनांक 31.03.2021 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट वर्ष 2021-22	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटकम 2021-22	समय सीमा
			राजस्व	पूँजीगत					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	आवासीय / अनावासीय भवनों का अनुरक्षण (राजभवन देहरादून एवं नैनीताल के आवासीय / अनावासीय भवनों सहित)	विभागीय कार्यालय भवनों, आवासीय भवनों, निरीक्षण भवनों तथा सर्किट हाउस का सामान्य अनुरक्षण का कार्य।	1292.00	-	-	-	-	-	03 / 2022
11	अधिष्ठान	विभागीय अधिष्ठान में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों का वेतन भुगतान तथा अधिष्ठान सम्बन्धी अन्य मदों का भुगतान।	54840.00	-	विभाग में कार्यरत 1125 राजपत्रित अधिकारियों तथा 8251 अराजपत्रित कर्मिकों अर्थात विभागीय अधिष्ठान में कार्यरत कुल 9476 कर्मिकों के वेतन व अधिष्ठान सम्बन्धी व्ययों का प्राविधान	विभाग में कार्यरत 1379 राजपत्रित अधिकारियों तथा 8251 अराजपत्रित कर्मिकों अर्थात विभागीय अधिष्ठान में कार्यरत कुल 9630 कर्मिकों के वेतन व अधिष्ठान सम्बन्धी व्ययों का प्राविधान	विभाग में कार्यरत 1379 राजपत्रित अधिकारियों तथा 8251 अराजपत्रित कर्मिकों अर्थात विभागीय अधिष्ठान में कार्यरत कुल 9630 कर्मिकों के वेतन व अधिष्ठान सम्बन्धी व्ययों का प्राविधान	विभाग में कार्यरत 9630 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को रोजगार का लाभ प्राप्त होने के साथ-साथ राज्य के अवस्थापना विकास में तकनीकी क्षमता का उपयोग	03 / 2022
	योग, राजस्व मदें		96706.23	-	3013 किमी0	1468 किमी0	1300 किमी0		
	कुल योग, (पूँजीगत + राजस्व मदें)		96706.23	151322.38	नव निर्माण - 661 किमी.	नव निर्माण - 801 किमी.	नव निर्माण - 881 किमी.		
					पुनःनिर्माण - 860 किमी.	पुनःनिर्माण - 2184 किमी.	पुनःनिर्माण - 772 किमी.		
					सेतु - 42 नं0	सेतु - 38 नं0	सेतु - 42 नं0		
					नवीनीकरण - 922 किमी0	नवीनीकरण - 1377 किमी0	नवीनीकरण - 1200 किमी0		
					अनुरक्षण - 2091 किमी0	अनुरक्षण - 91 किमी0	अनुरक्षण - 100 किमी0		

सतत् विकास लक्ष्यों हेतु प्रारूप

क्र० सं०	SDG संकेतक	दिनांक 01.04.2020 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	दिनांक 31.03.2021 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित आउटपुट (भौतिक स्थिति) 2021-22	परिकल्पित आउटकम (भौतिक स्थिति) 2021-22
1	2	3	4	5	6
1	ग्रामीण संयोजकता	13159	13259	13379	वर्ष 2021-22 में 120 ग्रामों को मार्गों से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे ग्रामवासियों को आवागमन में सुविधा प्राप्त होगी तथा गाँव से पलायन में रोकथाम लगेगी।